

रंगित जलविद्युत परियोजना, सिक्किम की पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित शर्तों का अनुपालन संबंधी छमाही प्रगति रिपोर्ट
(अप्रैल -2024 से सितंबर -2024)

1	परियोजना का नाम	रंगित पावर स्टेशन (60MW), दक्षिण सिक्किम
2	परियोजना की किस्म	जलविद्युत परियोजना (संचालित अवस्था में)
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	क) पत्र सं. 12/31/81-ईएनवी.5 दिनांक 19.07.1984 ख) पत्र सं. 8-241/84- एफसी दिनांक 25.04.1986 (34.56 ha वन भूमि के अपवर्तन हेतु) तथा पत्र सं.12-77/FCE दिनांक 24.11.1996 (2.4925 ha वन भूमि के अपवर्तन हेतु)
4	स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	दक्षिण सिक्किम, नामची सिक्किम 27° 15' 20" उ° तथा 27° 18' 15" उ° 88° 16' 35" पू° तथा 88° 18' 45" पू°
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	महाप्रबंधक रंगित पावर स्टेशन डाकघर- रंगित नगर, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम - 737111 ईमेल आईडी : rangit@nhpc.nic.in कार्यपालक निदेशक पर्यावरण व विविधता प्रबंधन विभाग निगम मुख्यालय, एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121 003 टेलीफोन: 0129-2254674
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	(i) क्षतिपूरक वनीकरण योजना (ii) जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (iii) जलाशय रिम उपचार योजना (iv) पुनरोद्धार योजना (v) पुनर्वास योजना (vi) धार्मिक स्मारकों का स्थानांतरण (vii) जलग्रहण क्षेत्र उपचार विस्तार योजना
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: i) वन क्षेत्र ii) गैर-वन क्षेत्र ख) अन्य	क) जलमग्न क्षेत्र: i) वन क्षेत्र : 6.50 हेक्टेयर ii) गैर-वन क्षेत्र: 6.40 हेक्टेयर ख) अन्य: 5.49 हेक्टेयर वन क्षेत्र एवं 117.79 हेक्टेयर गैर-वन क्षेत्र
8	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तएकारों की गणना सहित परियोजना प्रभावित परिवारों का विवरण	घर तथा जमीन खोने वाले - 19 केवल घर खोने वाले - 13 केवल जमीन खोने वाले - 13 कुल- 45

	क) अनु. जा./अनु. ज. ज./आदिवासी ख) अन्य	(क) अनु. जा. = 09, अनु. ज. ज = 02 (ख) अन्य = 34
9	वित्तीय ब्यौरा क) परियोजना की लागत, जैसा कि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष। ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च। ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए नियतन। घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च।	(क) सीसीईए अनुमोदन दिनांक 07.04.1999 के अनुसार स्वीकृत लागत ₹ 361.86 करोड़ (ख) ₹ 492.26 करोड़ (ग) ₹ 1883.59 लाख (घ) ₹ 1973.05 लाख
10	वन भूमि की आवश्यकताएं : क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई की स्थिति	क) 34.56 हेक्टेयर वन भूमि को रंगित जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8-241/84-एफसी दिनांक 25.04.1986 द्वारा अपवर्तन किया गया। उपरोक्त के अलावा, एमओईएफ के पत्र दिनांक 24.11.1996 के तहत रंगित जलविद्युत परियोजना के पावरहाउस व स्विच यार्ड के बीच तथा टनलिंग कार्यों के लिए 2.4925 हेक्टेयर वन भूमि को 132 केवी के 02 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए परिवर्तित किया गया था। ख) बिजली घर और स्विच यार्ड के बीच 02 ट्रांसमिशन लाइन तथा विभिन्न परियोजना घटकों के निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा लगभग 5027 पेड़ों की कटाई की गई थी।
11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और/अथवा नियोजित) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और/अथवा नियोजित)	क) सितम्बर.1990 (वास्तविक) ख) दिसंबर 1999 (वास्तविक)
12	विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी तक आरम्भ नहीं की गई है	लागू नहीं। परियोजना पूर्ण हो चुकी है।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	क) परियोजना 1999 में पूर्ण हो चुकी है। निगरानी समिति की कुल पांच बैठकें दिनांक 21.09.1994, 21.05.1996, 14.05.1998, 24.11.1999 तथा 30.03.2001 को की गई थी। ख) पिछले छह महीनों के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोई स्थल दौरा नहीं किया गया है।
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता के अनुसार सभी पर्यावरण सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित किया जा चुका है।

रंगित पावर स्टेशन (60MW), दक्षिण सिक्किम

पर्यावरण स्वीकृति : पत्र सं. 12/31/81-ईएनवी.5 दिनांक 19.07.1984

क्र.सं.	शर्त क्रमांक	निर्धारित शर्त	अनुपालन की स्थिति	टिप्पणी
1.	(I)	मृदा संरक्षण उपायों के लिए जलग्रहण क्षेत्र में गंभीर रूप से अपरदित क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए तथा कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।	अनुपालन किया गया	परियोजना 1999 में पूर्ण हो चुकी है।
	(II)	निर्माण क्षेत्रों की बहाली को अधिकतम संभव सीमा तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जैसे - -गड्ढों को समतल करना और भरना -खुले क्षेत्रों का भूनिर्माण; और -उजागर ढलानों पर वनस्पति लगाना	अनुपालन किया गया	
	(III)	श्रमिकों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए परियोजना लागत पर आवश्यक ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए ईंधन डिपो खोले जाने चाहिए तथा बजट अनुमान में पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए।	अनुपालन किया गया	